भारत गणराज्य की सरकार
और
संयुक्त मैक्सिकी राज्यों की सरकार
के बीच
संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के
संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त

संयुक्त मैक्सिकी राज्यों की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार ने, जिन्हें इसके आगे ''पक्ष'' कहा गया है,

23 जुलाई, 1975 को नई दिल्ली में दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए सांस्कृतिक सहयोग करार के अनुच्छेद X में किए गए अनुबंधों के अनुसरण में,

कला और संस्कृति के क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध रखने की इच्छा से प्रोत्साहित होकर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानवजाति के समन्वित विकास के लिए कला और संस्कृति अनिवार्य हैं,

मैक्सिको और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को पुनः संगठित करते हुए,

21 अक्टूबर, 2005 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आयोजित की और 2005-07 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग के निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हुई :

I. सामान्य सांस्कृति

''सांस्कृतिक उद्योग, सांस्कृतिक विविधता और लोकप्रिय संस्कृतियों''

दोनों पक्ष समृद्ध और संतुलित सांस्कृतिक आदान प्रदानों, जो उनकी अमूल्य सांस्कृतिक विविधता, वर्तमान और भावी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करते हैं, को बढ़ावा देने की अपनी-अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। दोनों पक्ष सांस्कृतिक विविधता के सम्मान, मूल्यांकन तथा संवर्धन को भी बढ़ावा देंगे और सांस्कृतिक उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के तरीके तलाशेंगे।

II. पुरातत्व विज्ञान, मानव जाति विज्ञान, संरक्षण और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार

1. ''पुरातत्व और मानव जाति विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग''

दोनों पक्ष पुरातत्व और मानव जाति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान (आई एन ए एच) के राष्ट्रीय समन्वय के माध्यम से कोनाकाल्टा का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा अन्य संबद्ध भारतीय संस्थानों के साथ लगभग 10 दिन की अवधि के लिए विशेषज्ञों को पुरातत्व संबंधी विरासत तथा पुरातत्व स्थलों के प्रबंधन के संरक्षण कार्यक्रमों से परिचित करवाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के आदान–प्रदान का प्रस्ताव है। इन आदान–प्रदानों से इस क्षेत्र में सहयोग का विशिष्ट करार करने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाले सहयोग के क्षेत्रों तथा दोनों पक्षों के व्यापक हित के क्षेत्र का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

इसमें राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच विशिष्ट सहयोग के संबंध में करार करने के उद्देश्य से सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आई एन ए एच तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से विशेषज्ञों का आदान–प्रदान शामिल है।

साथ ही आई एन ए एच के माध्यम से **कोनाकाल्टा** ऐतिहासिक स्मारकों तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में तकनीकि सूचना तथा विशेषज्ञों के आदान–प्रदान में अपनी रूचि व्यक्त करता है।

2. *''सांस्कृतिक विरासत का विस्तार संरक्षण और पुनरूद्धार''*

दोनों पक्ष अपने–अपने लागू विधानों की परिधि में अपने–अपने सक्षम संस्थानों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के विस्तार, संरक्षण, सुरक्षा, पुर्नरूद्धार तथा अनुरक्षण के लिए सहयोग की संयुक्त परियोजनाओं को पूरा करने में प्रोत्साहन देंगे तथा एक–दूसरे के देश से तस्करी की गई सांस्कृतिक संपदा को वापिस प्राप्त करने में सहायता के उद्देश्य से अनुभवों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देंगे।

III. दृश्य कला एवं संग्रहालय

1. *''उच्चस्तरीय प्रदर्शनियों का आदान–प्रदान''*

दोनों पक्ष उस अवधि के दौरान जब तक वर्तमान कार्यक्रम लागू रहेगा, एक–दूसरे के देश में उच्चस्तर की प्रदर्शनी के आयोजन का स्वागत करेंगे जिसकी विषय–वस्तु और वित्तीय शर्तें राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत करके तय की जाएंगी।

दोनों पक्ष राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एन जी एम ए) से भारतीय समकालीन उत्कृष्ट कलाकारों की प्रदर्शनियां तथा मेक्सिको से समकालीन कलाकारों की प्रदर्शनियों के आदान–प्रदान की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे।

IV. अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव

1. *''अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में भागीदारी''*

दोनों पक्ष एक–दूसरे के देश में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में अपने–अपने देश की भागीदारी को बढ़ावा देंगे जिसके लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष को महोत्सवों के संबंध में अग्रिम रूप में विस्तृत सूचना प्रदान करेगा।

प्रत्येक मामले में वित्तीय शर्तें, आमंत्रित पक्ष की आयोजन समिति तथा सक्षम संस्थानों के बीच परस्पर बातचीत द्वारा तय की जाएंगी।

V. संगीत एवं नाट्कीय कलाएँ

1. ''ओपेरा निर्देशकों, एकल वादन गायकों तथा संगीत मंडलियों का आदान–प्रदान''

दोनों पक्ष अपनी–अपनी कलात्मक परंपराओं (प्राचीन, लोकप्रिय तथा लोक साहित्य) से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत और मेक्सिको के ओपेरा निर्देशकों, एकल वादन गायकों तथा लघु संगीत मंडलियों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देंगे।

2. *''संगीत सामग्री का आदान–प्रदान''*

दोनों पक्ष लोकप्रिय तथा स्वदेशी संगीत और उसके ऐसे प्रयोक्ताओं के अभिलेखों तथा वीडियो का आदान–प्रदान करेंगे।

3. *''नाटकीय कलाओं का आदान–प्रदान''*

दोनों पक्ष एक–दूसरे के देश के रंगमंच प्रदर्शनियों की प्रस्तुती तथा संयुक्त निर्माणों को प्रोत्साहित करेंगे और उसमें सहायता करेंगे तथा निर्देशकों, तकनीशियनों और कलाकारों का आदान–प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

4. *''नृत्य में सहयोग''*

दोनों पक्ष एक दूसरे की परंपराओं तथा नृत्य मूल्यों से परिचित कराने के उद्देश्य से लघु रूप में भारतीय तथा मेक्सिको के एकल वादकों तथा नृत्य मंडलियों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देंगे।

VI. अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, साहित्य और संपादकीय सहयोग

1. *''अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले''*

दोनों पक्ष एक–दूसरे के देश में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में एक–दूसरे के देश से साहित्यिक बैठकों तथा प्रकाशकों की भागीदारी, जहां लेखक और प्रकाशक इस क्षेत्र से संबधित एफ ओ आर ए, सम्मेलनों या साहित्यिक बैठकों में भागीदारी के लिए मिलेंगे, को बढ़ावा देते रहने में अपनी रूचि व्यक्त करते हैं।

इस उद्देश्य के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष को आयोजित होने वाले मेलों के बारे में अग्रिम रूप से विस्तृत सूचना प्रदान करेंगे।

प्रत्येक मामले में वित्तीय दायित्वों पर आमंत्रित पक्ष की आयोजन समिति तथा सक्षम संस्थानों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा।

2. *''लेखकों का आदन–प्रदान''*

दोनों पक्ष मेक्सिको तथा भारत के सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों द्वारा आयोजित मंचों, बैठकों और सम्मेलनों में भागीदारी के लिए लेखकों के परस्पर आदान–प्रदान को बढ़ावा देंगे और उसमें सहयोग करेंगे तथा पुस्तकों तथा पठन रूचि को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करने में अनुभवों का आदान–प्रदान करेंगे।

3. *''मेक्सिको तथा भारत के साहित्यिक लेखकों की कृतियों का अनुवाद, संयुक्त प्रकाशन, प्रसार*

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश के लेखकों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद तथा प्रकाशन को बढ़ावा देंगे।

इस संबंध में मेक्सिको के लेखकों के हिन्दी में अनुवाद तथा प्रकाशन परियोजनाओं की प्रस्तुति के माध्यम से मेक्सिको की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में सहयोग का कार्यक्रम (प्रोट्राड) में भाग लेने के लिए भारत के प्रकाशनालयों को आमंत्रित करता है। भारतीय प्रस्ताव सीधे प्रोट्राड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

VIII. अभिलेखागार एवं पुस्तकालय

1. *''राष्ट्रीय अभिलेखागारों के बीच सहयोग''*

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश में लागू वर्तमान विधान के अनुरूप अन्य सामग्रियों के साथ प्रकाशनों, माइक्रोफिल्मों और दस्तावेजों के प्रतियों के माध्यम से राष्ट्रीय अभिलेखागारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

2. *''पुस्तकालयों के बीच सहयोग''*

दोनों पक्ष मेक्सिको तथा भारत के पुस्तकालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए संपर्कों में सहयोग करेंगे।

इस संबंध में **कोनाकाल्टा** का अध्ययन की ग्रंथ संबंधी सामग्री के आदान-प्रदान तथा मेक्सिकों और भारत में लोकप्रिय तथा स्वदेशी संस्कृतियों के बचाव का प्रस्ताव है।

VIII. रेडियों, दूरदर्शन, चलचित्रण

1. रेडियों में सहयोग

दोनों पक्ष अपने-अपने संस्थानों के बीच रेडियो के कार्यक्रमों के परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

इस संबंध में **कोनाकाल्टा** का **शैक्षिक रेडियो** के माध्यम से सुरीले भंडार (पारंपरिक तथा समकालीन संगीत) के आदान-प्रदान का प्रस्ताव है।

2. ''दूरदर्शन में सहयोग''

दोनों पक्ष दूरदर्शन में विशेषज्ञों के शिष्टमंडल के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे तथा दूरदर्शन में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान तथा शैक्षिक दूरदर्शन के संबंधित प्रसारण केन्द्रों और संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। विशिष्ट प्रस्तावों की सूचना राजनयिक चैनलों के माध्यम से दी जाएगी।

3. *''एक दूसरे के देश को समर्पित फिल्म महोत्सव''*

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश को समर्पित फिल्म महोत्सवों का आयोजन करेंगे तथा कलात्मक अनुभव तथा साथ ही चलचित्रण के क्षेत्र में संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो से तीन व्यक्तियों के शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देंगे।

दोरों के ब्यौरे और अवधि राजनयिक चैनलों के माध्यम से पहले तय किए जाएंगे।

IX. वित्त व्यवस्था

इस कार्यक्रम में उल्लिखित कार्यकलापों की आयोजना तथा उनके अनुपालन के संबंध में दोनों पक्ष अनुबंध–I में उल्लिखित सामान्य और वित्तीय शर्तों पर सहमत हुए।

वर्तमान कार्यक्रम में राजनयिक चैनलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के अन्य कार्यकलापों या परियोजनाओं पर राजनयिक चैनल के माध्यम से सहमति की संभावना वर्जित नहीं है।

सांस्कृतिक सहयोग का यह कार्यक्रम दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर की तारीख से प्रवृत्त होगा और यह तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा। यदि इस अवधि के बाद किसी अन्य कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं होता है तो वर्तमान कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक वैध रहेगा।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि राजनयकि चैनल या मूल्यांकन बैठकों के माध्यम से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।

शिष्टमंडल के सदस्यों की सूची अनुबंध–II में दी गई है।

संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक मेक्सिको में राजनयिक चैनल के माध्यम से परस्पर सहमति से निर्धारित तारीख को होगी।

इस कार्यक्रम पर नई दिल्ली में 2000 और 5 के अक्टूबर की 21 तारीख को हिन्दी, स्पैनिश तथा अंग्रेजी भाषाओं की दो–दो अर्थात 6 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। वर्तमान कार्यक्रम के निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य सरकार की ओर से

नाम :

संयुक्त राज्य मेक्सिको सरकार की ओर से

नाम :

पदनाम :

पदनाम :